भारत सरकार

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या **2197**

(जिसका उत्तर सोमवार , 8 मार्च, 2021/17 फाल्गुन 1942 (शक) को दिया जाना है)

सीबीआईसी के संवर्ग का पुनर्गठन

2197. **श्री लल्लू सिंह** :

क्या वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जीएसटी के क्रियान्वयन के पश्चात् सीबीआईसी के संवर्ग के पुनर्गठन पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सीबीडीटी के प्रशासनिक संरचना की तर्ज पर किया जाएगा एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सीबीआईसी ने वर्तमान संवर्ग पुनर्गठन में विभाग के सभी हितधारकों को अपने सदस्य के रूप में शामिल किया है एवं यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या यह सच है कि संवर्ग पुनर्गठन प्रस्ताव में सभी संवर्गों में पदों की संख्या सीजीएसटी अधिनियम, 2017 में विनिर्दिष्ट राज्यों के अनुपात में निर्धारित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या सरकार का विचार क्षेत्र के जनसांख्यिकी करदाताओं की संख्या और एकत्र किए गए राजस्व के अनुपात में अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करना है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) जी हां,

(ख) जी नहीं । यह केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की प्रशासनिक संरचना के अनुरूप नहीं होगा ।

(ग) जी नहीं । सीबीआईसी द्वारा किसी संवर्ग पुनर्गठन समिति का गठन नहीं किया गया था । तथापि, समूह क, ख तथा ग संवर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों तथा स्टाफ संघों/एसोसिएशनों सहित सभी हित धारकों के साथ विचार विमर्श किया गया था ।

(घ) तथा (ड.) जी हां । जीएसटी की शुरूआत के कारण अप्रत्यक्ष कर प्रशासन तथा इसकी बिजनेस प्रक्रियाओं में बदलाव को संवर्ग पुनर्गठन प्रस्ताव तैयार करते समय ध्यान में रखा गया है । औसत कर दाता तथा राजस्व आधार और भौगोलिक निकटता संवर्ग पुनर्गठन प्रस्ताव के दो प्रमुख सिद्धांत हैं।

****